वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर “,अमर उजाला , दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 24.01.2025

बेसमेंट में मिली पैथोलॉजी, खाली करने के लिए एक दिन का मौका

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए की ओर से बादशाह बाग कॉलोनी में सेवन एमईडी अस्पताल का निरीक्षण किया गया। यहां बेसमेंट में पैथोलॉजी चलाई जा रही थी।

खाली करने के लिए एक दिन समय देते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने कई स्थानों पर निरीक्षण किए।

बादशाह बाग कॉलोनी में तरुण कुमार मोटवानी स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होटल का निर्माण करा रहे थे। जिसे बंद कराते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा। गौरीगंज, भेलूपुर में अशफाक अहमद इरफान अहमद की ओर से नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर नोटिस दिया गया। गौरीगंज, भेलूपुर में आशीष जायसवाल की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर नोटिस दिया गया। भेलूपुर जल-कल विभाग के समीप रेनू पांडेय और गौरव पाण्डेय की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने पर नोटिस दिया गया। महमूरगंज में सावित्री साहू की ओर से दाखिल शमन मानचित्र के स्थल का निरीक्षण किया। संशोधित शमन मानचित्र दाखिल करने को कहा। भेलूपुर में फरहान की ओर से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर भवन को सील किया गया।

वीडीए सचिव ने होटल के अवैध निर्माण को कराया बंद

अमर उजाला–दि0 24.01.2025

24 बीघे की दो अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को 24 बीघे की दो अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। दशाश्वमेध वार्ड के दरेखू गंगापुर रोड पर बगैर ले आउट स्वीकृत कराए अजीत सिंह की ओर से 20 बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी।

इसी प्रकार संजय गुप्ता की ओर से चार बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति की अगुवाई में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। इसके साथ सभी को सख्त चेतावनी दी गई। ब्यूरो

वीडीए की खबरें

अवैध निर्माण पर वीडीए लगाएगा जुर्माना

वाराणसी। अवैध निर्माणों को आपराधिक कृत्य मानते हुए वीडीए सख्त कार्रवाई करेगा। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार वीडीए की ओर से अवैध निर्माणों को संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत सीजीएम कोर्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे और भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक प्रतिदिन 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिल सकेगी और भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा। ब्यूरो

काम में देरी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बृहस्पतिवार को सेंट्रल जेल रोड के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही देरी होने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने अतुलानंद चौराहे से हरहुआ तक चल रहे मीडियन प्लांटेशन का कार्य देखा। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 24.01.2025

दरेखू में बिना ले आउट वीडीए ने तोड़ी 24 बीघा की प्लाटिंग

उपाध्यक्ष ने दी लोगों को चेतावनी कि ऐसी कालोनियों में न लें प्लाट

वाराणसी विकास प्राधिकरण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की टीम लगातार बिना ले-आउट स्वीकृत कराए प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इसी क्रम में वीडीए की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गंगापुर रोड पर दरेखू में बिना ले-आउट स्वीकृत 24 बीघा की प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

वीडीए के वार्ड-दशाश्वमेध की टीम दोपहर में मौजा-दरेखू पहुंची। वहां बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अजीत सिंह नामक व्यक्ति ने लगभग 20 बीघे में तथा संजय गुप्ता ने लगभग चार बीघा में प्लाट विकसित किया था। इस प्रकार कुल 24 बीघे में अवैध प्लाटिंग की गई थी। एक से दो फीट ऊंची ईंट की बाउंड्री बनाकर प्लाट बनाए गए थे। बीच में मानक के अनुसार रास्ते भी नहीं बनाए गए थे। प्रवर्तन टीम व पुलिस बल के सहयोग से पूरी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने लोगों से अपील किया कि वे वीडीए से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना बन रही कालोनियों में प्लाट न खरीदें। ऐसी कालोनियों में प्लाट पर मानचित्र स्वीकृत भी नहीं होगा। ऐसे में निर्माण करने पर ध्वस्त किया जाएगा। कार्रवाई में जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति व अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश आदि उपस्थित रहे।

अवैध निर्माण पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई : उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा कि अवैध निर्माण संज्ञेय अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक रोज 2,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिलेगी। भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक मान्यवर–दि0 24.01.2025

बेसमेंट में चल रही थी पैथालॉजी, वीडीए ने रोका काम

वाराणसी।वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाह बाग कालोनी में अस्पताल की बेसमेंट में पैथालॉजी चल रही थी। आवासीय नक्शे पर अस्पताल का संचालन हो रहा था। दरेखू गंगापुर में अवैध तरीके से कालोनी विकसित की जा रही थी। बादशाह बाग कालोनी में स्वीकृत आवासीय मानचित्र के नाम पर बन रहे 7टएऊहास्पिटल की वीडीए ने जांच पड़ताल की। टीम बेसमेंट में पहुंची तो भौचक्का रह गई। बेसमेंट में पैथालॉजी चल रही थी। अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे में पैथालॉजी नहीं हटाने पर बिल्डिंग सील करने की चेतावनी दी। साथ ही शमन मानचित्र दाखिल करने का आदेश दिया गया।

हिन्दुस्तान–दि0 24.01.2025

दरेखू में अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने गुरुवार को दशाश्वमेध वार्ड के दरेखू, गंगापुर रोड पर बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 20 बीघे में अवैध प्लॉटिंग और इसी स्थान पर एक अन्य व्यक्ति की ओर से चार बीघे में की जा रही अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कराई गई। इस मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति, जेई रविन्द्र प्रकाश समेत अन्य मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.01.2025

वीडीए उपाध्यक्ष ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सेंट्रल जेल रोड स्थित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक कार्य, पार्किंग, वेंडिंग और अन्य प्रचलित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी। वीडीए उपाध्यक्ष ने कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए और कार्यों में देरी होने पर अर्थदंड की कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष द्वारा संत अतुलानंद चौराहे से हरहुआ तक चल रहे मीडियन प्लांटेशन कार्य का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने पौधरोपण को और अधिक सुंदरता से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि शहर की हरियाली और सौंदर्य में वृद्धि हो सके। विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, जिससे शहर में बेहतर सड़क व्यवस्था और पर्यावरणीय सौंदर्य को सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.01.2025

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

दो भागों में वीडीए ने की कार्रवाई एक जगह चार बीघा तो दूसरी जगह 20 बीघा अवैध प्लाटिंग पर की कार्रवाई

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन तीन की प्रवर्तन टीम ने दो अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। दशाश्वमेध वार्ड मौजा-दरेखू , गंगापुर रोड के अंतर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अजीत सिंह द्वारा लगभग 20 बीघे में तथा संजय गुप्ता द्वारा लगभग चार बीघा में इस प्रकार कुल 24 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसे बृहस्पतिवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

अवैध निर्माण में थाने से नहीं मिलेगी जमानत, देना पड़ेगा 50 हजार का जुर्माना

सीजेएम कोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा अवैध निर्माणकर्ताओं को

अगर नहीं अवैध निर्माण रोका तो प्रतिदिन 2500 रुपए का लगेगा जुर्माना

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताय कि वीडीए की तरफ से अवैध निर्माणों को संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत सीजीएम कोर्ट में मामले दर्ज किए जाएंगे और भवन मालिक से एकमुश्त 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जब तक निर्माण कार्य रोका नहीं जाता, तब तक प्रतिदिन 2,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 और 27 के तहत वीडीए अपने अधिकारों का उपयोग करेगा। ऐसे मामलों में थाने से जमानत नहीं मिल सकेगी और भवन मालिक को सीजीएम कोर्ट जाना होगा। इन धाराओं के तहत अवैध निर्माणों को आपराधिक कृत्य मानते हुए वीडीए सख्त कार्वाई करेगा।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.01.2025

वीडीए के जोन तीन व चार में निरीक्षण, कई अवैध निर्माण मिलें

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

वाराणसी।

जोनल अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टीमों के साथ किया निरीक्षण

वीडीए के जोन तीन व चार के अंतर्गत मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जोन तीन के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार अपने प्रवर्तन टीम आदि के साथ उपस्थित थे।

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निम्नलिखित निर्माणों का निरीक्षण किया गया। जोन-तीन के अन्तर्गत बादशाह बाग कालोनी में स्वीकृत आवासीय मानचित्र (बी+जी तलों) के विपरीत निर्माणाधीन हास्पिटल का निरीक्षण किया गया। उक्त भवन में बेसमेंट में पैथोलॉजी का संचालन गतिमान पाया गया, जिसे खाली करने के लिए एक दिन समय देते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया। जोन-तीन के अन्तर्गत बादशाह बाग कालोनी में तरूण कुमार मोटवानी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होटल का निर्माण किया जा रहा था, जिसे बंद कराते हुए शमन मानचित्र दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया। जोन-चार के अन्तर्गत गौरीगंज, भेलूपुर में अशफाक अहमद इरफान अहमद द्वारा स्वीकृत मानचित्र (जी+2 तलों) के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

जोन-चार के अन्तर्गत गौरीगंज, भेलूपुर में आशीष जायसवाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। जोन-चार के अंतर्गत भेलूपुर जल-कल विभाग के समीप रेनू पाण्डेय व गौरव पाण्डेय वगैरह द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण किये जाने पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। जोन-चार के अन्तर्गत महमूरगंज में सावित्री साहू द्वारा दाखिल शमन मानचित्र के क्रम में स्थल का निरीक्षण किया गया व संशोधित शमन मानचित्र दाखिल किये जाने के लिए निर्देशित किया गया। जोन-चार के अंतर्गत भेलूपुर में फरहान तवज्जुम व अन्य द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जी+3 तलों का निर्माण किये जाने पर प्रश्नगत भवन को सील किया गया। क्षेत्रीय जोनल अधिकारी को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में सौरभ देव प्रजापति, जोन-चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रवर्तन टीम के फील्ड स्टाफ आदि को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त के अतिरिक्त आवंटित क्षेत्र में हो रहे अनाधिकृत गतिमान निर्माणों पर प्रभावी रोक लगाते हुए नियमानुसार जांच कर अग्रिम कार्वाई की जाये।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.01.2025

उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का किया गया निरीक्षण'

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग द्वारा सेंट्रल जेल रोड पर स्थित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक कार्य, पार्किंग, वेंडिंग और अन्य प्रचलित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा कार्यों को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गये और कार्यों में देरी होने पर अर्थदंड की कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अतुलानंद चौराहे से हरहुआ तक चल रहे मीडियन प्लांटेशन कार्य का भी निरीक्षण किया गया र उन्होने पौधारोपण को और अधिक सुंदरता से पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि शहर की हरियाली और सौंदर्य मे वृद्धि हो सके। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, जिससे शहर मे बेहतर सड़क व्यवस्था और पर्यावरणीय सौंदर्य को सुनिश्चित किया जा सके।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.01.2025

जोन-3 की प्रवर्तन टीम द्वारा 02 अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-दशाश्वमेध, मौजा-दरेखू, गंगापुर रोड के अन्तर्गत बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अजीत सिंह द्वारा लगभग 20 बीघे में तथा संजय गुप्ता द्वारा लगभग 04 बीघा में इस प्रकार कुल 24 बीघे में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, जिसे आज दिनांक 23/01/2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।